

खण्ड-5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

h



अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के नियम, विनियम, निर्देशों के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

संस्थान की समस्त उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा संस्थान की समस्त कार्ययोजनाओं/नियम/विनियम/अनुदेश/निर्देशिका/अभिलेख को प्रबन्धकार्यकारिणी एवं साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त विनियम/विनियम/अनुदेश/निर्देशिका/अभिलेख के कार्यान्वयन हेतु शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत निर्देशों/नियमावलियों/शासनादेश/नियमों एवं विनियमों के द्वारा समस्त कार्यों का निर्वहन किया जाता है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान निदेशालय स्तर पर निदेशक महोदय द्वारा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को निर्गत दायित्व का निर्वहन सुचारु रूप से किया जाता है।

6/